

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:-प.5(3)नविवि / 3 / 99 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 15 FEB 2013

परिपत्र

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4.10.2002 के बिन्दु संख्या ३ एवं आदेश दिनांक 21.7.2003, परिपत्र दिनांक 21.7.2011 एवं 17.10.2011 तथा टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के संबंध में जारी अधिसूचना प.3(77)नविवि / 3 / 2010 दिनांक 28.6.2010 द्वारा फार्म हाउसेज की भूमियों के नियमन/आवंटन के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

कृषि भूमि के फार्म हाउस प्रयोजनार्थ रूपान्तरित कराये जाने/ले—आउट प्लान स्वीकृति के ५ वर्ष की अवधि में फार्म हाउस विकसित किया जाना आवश्यक होगा। उक्त ५ वर्ष की अवधि समाप्त होने पर आवंटन स्वतः निरस्त माना जावेगा तथा भू—उपयोग परिवर्तन मान्य नहीं होगा। उक्त स्वतः निरस्तीकरण के पश्चात् आवेदक यदि चाहे तो फार्म हाउस के लिए पुनः आवेदन संबंधित निकाय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

संबंधित निकायों द्वारा फार्म हाउस प्रयोजनार्थ रूपान्तरित कराये जाने वाले भूखण्डों पर मूल आवेदक काबिज है या अन्य कोई, इस संबंध में जांच उपरान्त पट्टाविनेख (लीजडीड) मूल आवेदक का कब्जा प्रमाणित होने पर ही मूल आवेदक के पक्ष में जारी किया जावे। साथ ही यह सुनिश्चित किया जावे कि ले—आउट प्लान स्वीकृति के ५ वर्ष की अवधि में फार्म हाउस विकसित किया गया है अथवा नहीं तथा उक्त ५ वर्ष की अवधि समाप्त होने पर आवंटन तथा भू—उपयोग परिवर्तन स्वतः निरस्त माना जावे।

टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के संबंध में जारी अधिसूचना प.3(77)नविवि / 3 / 2010 दिनांक 28.6.10 के बिन्दु संख्या 10.00 (x) में बाह्य विकास शुल्क के संबंध में निम्न प्रावधान किये गये हैं

"(x) EDC for Farmhouses scheme shall be Rs 50/- per Sqm for using existing infrastructure chargeable on double of the built up area allowed in such cases. ULB shall not bear any obligation to provide any additional infrastructure to such plots in this EDC."

बाह्य विकास शुल्क के संबंध में अब यह स्पष्ट किया जाता है कि फार्म हाउस के प्रकरण जो दिनांक 28.6.2010 के पूर्व निष्पादित किये जा चुके हैं, में अधिक जमा राशि नहीं लौटायी जाएगी। टाउनशिप पॉलिसी 2010 के पश्चात् के प्रकरणों में बाह्य विकास शुल्क की गणना उपरोक्तानुसार की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह संधु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय शासन विभाग।
4. आयुक्त, जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर..... (राजस्थान)।
6. संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय / तृतीय / शासन उप सचिव—प्रथम, नगरीय विकास विभाग।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपने स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को सूचित करावें।
8. सचिव, जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर।
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
10. सचिव, नगर सुधार न्यास.....(समस्त)
11. रक्षित पत्रावली।

१५/२/२०१३
(एन.एल.भौमा)
शासन उप सचिव—तृतीय